

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bund (M.P.)

Case No. 71/17

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

क. गुप्ता  
मार्किंग मजिस्ट्रेट प्रमाण प्रमाण  
मोटा रिला मिड राउंड

200 फु 00 मी

Name, parentage, caste and address of accused

आजाद एवं ४० सलीम एवं ३५ ३० साल निक्की डरायदा  
शाना मौ विसा भिण्ड म० प्र०

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 3/03/17

मुक।

डोकरी डरायदा रोड पहाडिया झांझी में 200 ब्याटर लीटर/पाव/बोतल शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध करित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिक्रिया चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

परायदा स्वीकार है न्यून दण्ड से दण्डित करने का विवेक।

आ जाय

क. गुप्ता  
मार्किंग मजिस्ट्रेट प्रमाण प्रमाण  
मोटा रिला मिड राउंड



दिनांक 6/5/13

01 अभियुक्त को आधारी अधिनियम 1945 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनाय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना स्वीकार किया।

02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आधारी अधिनियम 1945 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03 अभियुक्त को आधारी अधिनियम 1945 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायिक प्रक्रिया तक की अवधि तक की राज एवं रुपये 500/- रुपये। पांच सौ रुपये मात्र रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटायें जाने पर जुर्माना का समान्यतः समान्यतः की सजा भुगतानी आदि।

अभिज्ञान

20 बमलवादी

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला मजिस्ट्रेट